

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-24/11/बिजनौर/18982/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 24, 2017

सेवा में

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय बिजनौर में धामपुर-नूरपुर मार्ग (एम0डी0आर0-03) किमी0 30.336 की बायीं पटरी पर ग्राम-नूरपुर, तहसील-चौदपुर, के खसरा सं0 205/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0697 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ आपके कार्यालय का पत्रांक-3181/14-1, दि0 12.05.17

महोदय

विषयके प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनाएँ एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

1- प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार मार्ग के किनारे से लो0नि0वि0 की बाउण्ड्री सीमा की दूरी 16.30 मी0 होती है, किन्तु गणना 17.836 मी0 के अनुसार की गयी है, तदनुसार गणना त्रुटिपूर्ण है। संशोधित गणना के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- संशोधित गणना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें एवं उक्त गणना को ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Details में अपलोड करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं के निराकरण हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की सूची प्रतियों इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपका विश्वसनीय

सूचना एवं प्रकाशन

विभागाध्यक्ष

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेखरकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-24/11/ , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आपका विश्वसनीय

सूचना एवं प्रकाशन

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

(वाई0एस0के0शेखरकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।